बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
—:: संकल्प ::—

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, धोरैया, बांका सम्प्रति सेवानिवृत श्रम अधीक्षक के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बांका ने अपने पत्रांक–483 दिनांक–19.04.2015 द्वारा प्रपत्र 'क' में यह आरोप गठित किया कि श्री मेहता द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 में धान अधिप्राप्ति में 64418.40 क्वि० धान का खरीद किया गया था, जिसके विरूद्ध राज्य खाद्य निगम द्वारा निर्गत SIO के अनुसार 65208.80 क्वि० धान मिलरों को हस्तगत कराया गया एवं 1209.70 क्वि० धान का गबन कर लिया गया जिसकी तात्कालिक कीमत ₹ 23,02,026/– (तैईस लाख दो हजार छब्बीस) अनुमानित की गई। सहायक श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–1624 दिनांक–08.06.2015 द्वारा प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों पर श्री मेहता से स्पष्टीकरण पर मांग की गई। श्री मेहता का स्पष्टीकरण उनके पत्र दिनांक–24.06.2015 द्वारा प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने जिला पदाधिकारी, बांका के पत्रांक–721 दिनांक–16.03.2013 द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण में उनके द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक–39 दिनांक–30.03.2013 में भेजे गये स्पष्टीकरण का हवाला देते हुये उक्त मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुये आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया। श्री मेहता के स्पष्टीकरण से असहमत होते हुये जिला पदाधिकारी, बांका से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में प्रशासनिक प्राधिकार के स्तर पर प्रपत्र 'क' गठित करते हुये आदेश ज्ञापांक–2422 दिनांक–11.08.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री मेहता के दिनांक–30.06.2016 को सेवा निवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को आदेश ज्ञापांक–426 दिनांक–06.12.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत परिवर्तित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–उप श्रमायुक्त, भागलपुर के पत्रांक–153 दिनांक– 02.02.2016 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अपने जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने यह मंतव्य दिया है कि "परिस्थितिजन्य में श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, धोरैया, बांका पर आरोप प्रमाणित होते है।" संचालन पदाधिकारी ने अपने मंतव्य में यह भी उल्लेख किया है कि बिहार राज्य खाद्य निगम, बांका के जिला प्रबंधक द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं की गई एवं धान क्रय से संबंधित सारा कार्य हुआ और अपने को बचाने में जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बांका सफल रहें, जबकि इस गबन कार्य में उनपर भी कार्रवाई होनी चाहिये।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पत्र संख्या–5328 दिनांक–23.12.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये श्री मेहता से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री मेहता का द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर उनके पत्र दिनांक–27.01.2017 द्वारा प्राप्त हुआ। श्री मेहता ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में उल्लेख किया कि उनके द्वारा अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए संचालन पदाधिकारी के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बांका को बचाने के उद्देश्य से सारा आरोप उनके ऊपर सिद्ध कर दिया गया। श्री मेहता ने उल्लेख किया कि दिनांक–31.12.2011 से दिनांक–15.04.2012 तक कुल 64418.40 क्वि० धान का क्रय किया गया एवं जिला से निर्गत SIO के आधार पर विभिन्न मिलों को 65208.80 क्वि० धान प्राप्त करा दिया गया। शेष 1209.70 क्वि० धान खुले आसमान के नीचे भण्डारित करने के आदेश के कारण धूप, वर्षा एवं अदृश्य चोरी आदि के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। वे जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बांका; जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी बांका; अंचलाधिकारी–सह–प्रवर्तन पदाधिकारी, धोरैया एवं जिला पदाधिकारी, बांका को लगातार अवगत कराते रहे, परन्तु धान की क्षति को रोकने के लिए सभी

कार्रवाई विलम्ब से की गई। श्री मेहता ने यह भी उल्लेख किया है कि धान की जो क्षति हुई वह राज्य खाद्य निगम द्वारा स्वीकृत सीमा के अन्दर है, जिसे गबन नहीं माना जा सकता।

4. श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि जिला पदाधिकारी, बांका के पत्रांक–242 दिनांक–01.03.2012 द्वारा इसके लिये विस्तृत निदेश निर्गत किया गया था जिसमें क्रय केन्द्र के पास उपलब्ध खाली जमीन पर नीचे पुआल एवं पोलीथीन सीट देकर धान भण्डारित करने का निदेश था। गोदाम भरे होने या बोरा उपलब्ध नहीं होने पर भी अधिप्राप्ति जारी रखने का निदेश दिया गया था तथा इसके लिए एक चौकीदार को हमेशा सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त करना था तथा सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित थाना प्रभारी को दिया गया था। इसके साथ ही धान को ससमय क्रय केन्द्र से उठाव की जिम्मेवारी राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारी की थी। सक्षम प्राधिकार द्वारा यह पाया गया कि यह सही है कि राज्य खाद्य निगम की जिम्मेदारी थी कि वह धान को क्रय केन्द्र से समय पर उठा ले, लेकिन खुले में धान जमा करने की स्थिति में और इसकी क्षति होने पर क्रय केन्द्र पदाधिकारी को उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें इस तथ्य की जानकारी होगी कि यदि लम्बे समय तक खुले में धान को छोड दिया जाय तो वह निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो जायेगा। अतएव श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, धोरैया, बांका सम्प्रति सेवानिवृत श्रम अधीक्षक को 1209.70 क्वि० धान के लिए ₹ 23,02,026/– (तैईस लाख दो हजार छब्बीस) की क्षति का जिम्मेदार मानते हुये 05 (पाँच) वर्षो तक उनके पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन की कटौती किये जाने का दण्ड अधिरोपित करने का औपबंधिक निर्णय लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–806 दिनांक–16.01.2018 के कंडिका 7(iv) एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्र संख्या–2609 दिनांक–13.09.2006 के कंडिका 1 के प्रावधान के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, धोरैया, बांका सम्प्रति सेवानिवृत श्रम अधीक्षक के विरूद्ध 05 (पाँच) वर्षो तक उनके पेंशन से 5 प्रतिशत पेंशन की कटौती किये जाने का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–115 दिनांक–15.01.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का परामर्श मांगा गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–285 दिनांक–08.05.2019 द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड पर सहमति व्यक्त की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, धोरैया, बांका सम्प्रति सेवानिवृत श्रम अधीक्षक को 1209.70 क्वि० धान के लिए ₹ 23,02,026/– (तेईस लाख दो हजार छब्बीस) की क्षति का जिम्मेदार मानते हुये 05 (पाँच) वर्षो तक उनके पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन की कटौती किये जाने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, धोरैया, बांका सम्प्रति सेवानिवृत श्रम अधीक्षक के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के अंतर्गत 05 (पाँच) वर्षो तक उनके पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन की कटौती किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, धोरैया, बांका सम्प्रति सेवानिवृत श्रम अधीक्षक (वर्तमान पता–रेणु कॉम्प्लेक्स, भूतनाथ रोड़, पटना–26) को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—
(सूर्यकान्त मणि)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः— 6/श्रम वि० आ०(02)—15/2017 श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह०/—
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः— ज्ञापांकः— 6/श्रम वि० आ०(02)—15/2017 श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः— ज्ञापांकः— 6/श्रम वि० आ०(02)—15/2017 श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, बांका/कोषागार पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के उप सचिव

निबंधित/स्पीड

ज्ञापांकः— 6/श्रम वि० आ०(02)—15/2017 श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, धोरैया, बांका सम्प्रति सेवानिवृत श्रम अधीक्षक (वर्तमान पता—रेणु कॉम्प्लेक्स, भूतनाथ रोड, पटना—26) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः— ज्ञापांकः— 6/श्रम वि० आ०(02)—15/2017 श्र०सं०— 1394 पटना, दिनांक—18/6/19

प्रतिलिपिः— श्रमायुक्त, बिहार, पटना/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/लोक सूचना पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी—01 (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/19
सरकार के उप सचिव